

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. बनाम महावीर प्रसाद

केस संख्या 31/2019 ( धारा 14 सरफेशी एक्ट )

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.2019	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता श्री रवि कुमार शर्मा ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.09.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">- <i>रवि</i> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> <p>2/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने नोट प्रेस किया है। डा. नोट प्रेस किए जाने से प्र. पत्र को इसी तरह पर त्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">- <i>रवि</i> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>विशेष विवरण</p> <p style="text-align: right;">Not Press <i>Ravi</i></p>